



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्रमांक 1245/2015

(अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 13/2015 (छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध रतन साहू व एक अन्य) में दिनांक 21.09.2015 को पारित निर्णय से प्रोद्भूत]

- 1- रतन साहू, पिता श्री रामकेवल साहू, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी- क्रमांक 11 दंडकारवां, थाना- चंदौरा, सिविल व राजस्व जिला- सूरजपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
- 2- सेतु साहू पिता श्री रामकेवल साहू, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी- क्रमांक 11 दंडकारवां, थाना- चंदौरा, सिविल व राजस्व जिला- सूरजपुर, छत्तीसगढ़, जिला: सूरजपुर, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थीगण

(जमानत पर)

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना प्रभारी, पुलिस थाना- चंदौरा, सूरजपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

[वाद-शीर्षक वाद सूचना प्रणाली (सीआईएस) से लिया गया है]

अपीलार्थी की ओर से

:

श्री नीरज मेहता, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से

:

श्री अरविंद दुबे, शासकीय अधिवक्ता

खण्डपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

बोर्ड पर निर्णय

(28.03.2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन दोनों अपीलार्थीगण/अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 13/2015 (छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध रतन साहू व एक अन्य) में दिनांक 21.09.2015 को



पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत उन्हें निम्नानुसार सिद्धदोष व दण्डित किया गया है:

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन	प्रत्येक को अजीवन कारावास व 5,000/- रुपए का अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास ।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201/34 के अधीन	प्रत्येक को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 1,000/- रुपए का अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास ।

[दोनों दण्डादेशों को साथ- साथ चलाने हेतु निर्देशित किया गया है]

(2) अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 21/22.02.2015 की मध्य रात्रि में, सायं 07:00 बजे से प्रातः 11 बजे के मध्य, 11 बजे, दंडकारवां, जो कि पुलिस थाना चंदौरा, जिला सूरजपुर (छ.ग.) के अधिकारिता में आता है, दोनों अपीलार्थीगण ने सर्वप्रथम अपने भाई, अर्थात् कृष्ण प्रसाद (जिसे आगे मृतक कहा गया है) की हत्या करने का साझा आशय किया, तथा इसके बाद दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और स्वयं को विधिक दण्ड से बचाने के लिए मृतक के शव को अपने घर के पीछे गड्ढे में फेंक दिया एवं इस प्रकार उक्त अपराध कारित किया।

(3) अभियोजन का यह भी प्रकरण है कि प्रारंभ में अभियुक्त-अपीलार्थी क्रमांक 02 ने पुलिस को सूचना दी कि दिनांक 21.02.2015 को प्रातः लगभग 09:00 बजे उसका बड़ा भाई (मृतक) बाजार गया था, किन्तु वापस नहीं लौटा, जिसके आधार पर गुमशुदगी की सूचना दर्ज की गई तथा अन्वेषण प्रारंभ की गई। परंतु अन्वेषण के दौरान मृतक का शव उसके घर के पीछे गड्ढे में मिला एवं तत्पश्चात ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण-अपीलार्थीयों ने मृतक की हत्या कर शव को अपने घर के पीछे गड्ढे में फेंक दिया है। जिसके आधार पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/26) व प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/20) पंजीबद्ध की गई। नजरी नक्शा व पंचनामा भी क्रमशः प्रदर्श पी/14 व प्रदर्श पी/05 के द्वारा तैयार किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के अधीन प्रदर्श पी/06 के द्वारा समन भेजा गया तथा प्रदर्श पी/07 के द्वारा मृत्यु समीक्षा कार्यवाही भी की गई। मृतक के शव को शवपरीक्षण हेतु भेजा गया तथा डॉ. ए.के. विश्वकर्मा (अ.सा.-07) एवं डॉ. राजेश श्रेष्ठ (अ.सा.-08) द्वारा की गई शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/04) में मृतक की मृत्यु का कारण गला घोटने से दम घुटना तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना पाया गया।



(4) तत्पश्चात्, अभियुक्त-अपीलार्थीगण को क्रमशः प्र.पी./16 और प्र.पी./17 के अधीन गिरफ्तार किया गया। मुख्य साक्षी, रामसेवक (अ.सा.-11) का कथन प्र.पी./09 द्वारा द.प्र.सं. की धारा 164 के अधीन दर्ज किया गया। मृतक के शव के गले में लिपटा एक दुपट्टा प्र.पी./05 द्वारा जब्त किया गया। घटनास्थल से जब्त रक्तंजित मिट्टी व सादी मिट्टी के साथ उक्त जब्त दुपट्टे को रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजा गया और एफ.एस.एल. रिपोर्ट (यद्यपि प्रदर्शित नहीं की गई, परंतु पेपर-बुक के पृष्ठ क्रमांक 47-50 पर संलग्न) के अनुसार, यह अभिमत दिया गया है कि रक्त के धब्बे केवल उक्त दुपट्टे पर पाए गए थे, जिसे मृतक के शव से जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रकरण में खोजी कुत्ते की कार्यवाही भी की गई है और खोजी कुत्ते की कार्यवाही पंचनामा (प्र.पी./03) के अनुसार, यह उल्लेखित किया गया है कि मृतक के शव के गले में लिपटे हुए दुपट्टे को सूंघने के बाद खोजी कुत्ता सीधे अपीलार्थी क्रमांक 01 के घर के भीतर चला गया, जहां अपीलार्थी क्रमांक 01 के कमरे में प्रवेश करने के बाद खोजी कुत्ता उक्त कमरे के पीछे स्थित दूसरे कमरे में चला गया, वहां रुक गया और फर्श पर मौजूद लार व रक्त को सूंघने लगा। तत्पश्चात्, साक्षियों के कथन दर्ज किए गए और उचित अन्वेषण के उपरांत, पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध दण्डिक अधिकारिता न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया और अंततः, प्रकरण विधि सम्मत सुनवाई तथा विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जिसमें अपीलार्थीगण/अभियुक्तों ने अपने अपराध को अस्वीकार किया तथा यह कहते हुए बचाव में प्रवेश किया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

(5) अभियोजन ने अपना प्रकरण साबित करने हेतु 12 साक्षियों का परीक्षण कराया तथा 23 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जबकि अपीलार्थीगण/अभियुक्तों ने अपने बचाव के समर्थन में न तो किसी साक्षी का परीक्षण कराया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया।

(6) विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 व 201/34 के अधीन अपराधों हेतु सिद्धदोष किया तथा उन्हें इस निर्णय के प्रारंभिक पैरा में उल्लिखित दण्डादेश दिया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण-अभियुक्तों ने दोषसिद्धि व दण्डादेश को प्रश्नगत करते हुए यह अपील प्रस्तुत की है।

(7) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज मेहता ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 व 201/34 के अधीन अपराध हेतु दोषसिद्धि पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि अभियोजन पराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। उन्होंने आगे तर्क किया कि अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि मूलतः इस पर आधारित है: (i) रामसेवक (अ.सा.-11) का कथन जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दर्ज किया गया है, जिसमें उसने कथित रूप से व्यक्त किया है कि उसने मृतक के शव को उसके घर से



उसके घर के पीछे स्थित गड्ढे तक ले जाने में दोनों अपीलार्थीगण की सहायता की थी और (ii) खोजी कुत्ते द्वारा पंचनामा (प्र.पी/03)। यद्यपि, विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज रामसेवक (अ.सा.-11) के कथन के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि वह अपने कथन से पक्षद्रोही हो गया और अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थीगण की सहायता करने का उसका कथन पूरी तरह से गायब है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दर्ज उसके कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त, खोजी कुत्ते की कार्यवाही एक दुर्बल साक्ष्य है और किसी भी अन्य संपुष्टि के अभाव में, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय में उपरोक्त अवैधताओं और विकृतियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान अपील स्वीकार की जाए तथा अपीलार्थी संदेह के लाभ के आधार पर उक्त आरोप से दोषमुक्ति का पात्र हैं।

(8) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तथा तर्क किया कि अभियोजन ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है। अभियोजन साक्षियों के कथनों व अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के दृष्टिगत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 व 201/34 के अधीन अपराधों के लिए उचित रूप से सिद्धदोष किया है एवं इसलिए, वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

(9) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

(10) सर्वप्रथम व सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मृतक की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी/04) पर विचार करते हुए सकारात्मक रूप से दर्ज किया है, जिसमें यह व्यक्त किया गया है कि मृतक की मृत्यु का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना है और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक है, जो कि डॉ. ए.के. विश्वकर्मा (अ.सा.-07) और डॉ. राजेश श्रेष्ठ (अ.सा.-08) के कथनों से विधिवत साबित होता है। तदनुसार, शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी/04) और मृतक के शव का शवपरीक्षणकर्ता डॉ. ए.के. विश्वकर्मा (अ.सा.-07) और डॉ. राजेश श्रेष्ठ (अ.सा.-08) के कथनों को विचार में रखते हुए, हमारा यह मानना है कि मृतक की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक है, क्योंकि यह साक्ष्यों पर आधारित तथ्य का उचित निष्कर्ष है और न तो यह त्रुटिपूर्ण है और न ही अभिलेख के विपरीत है। हम इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।



(11) अब आगामी प्रश्न यह होगा कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी अपराध के रचयिता हैं या नहीं, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नानुसार अभियोगात्मक परिस्थितियों के आधार पर सकारात्मक रूप में दर्ज किया है, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में व्यक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है:

“1. रामसेवक (अ.सा.-11) का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दर्ज किया गया, प्रदर्श पी./09 द्वारा।

2. खोजी कुत्ते की कार्यवाही का पंचनामा प्र.पी/03 द्वारा।”

(12) चूंकि, वर्तमान प्रकरण उपर्युक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अतः यहां शरद बिरदीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य¹ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा प्रतिपादित पांच स्वर्णिम सिद्धांतों पर विचार करना लाभप्रद है, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण के साक्ष्य के 'पंचशील' का गठन करते हैं जो निम्नानुसार है:

“153..... (1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए।

यहाँ यह विचार करने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य या होनी चाहिए' और 'हो सकती है' स्थापित नहीं हैं। 'साबित किया जा सकता है' और "साबित किया जाना चाहिए या होना चाहिए" के मध्य न केवल व्याकरणिक बल्कि विधिक अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने *शिवाजी साहबराव बोबडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एससीसी 793* में अभिनिर्धारित किया था, जहाँ निम्नानुसार अवधारित किया गया था:

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है, तभी न्यायालय दोषी ठहरा सकता है और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के मध्य मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।

1 (1984) 4 SCC 116



(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, वे किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित करने के लिए एक को छोड़कर अन्य हर संभव परिकल्पना को बाहर रखना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के निष्कर्ष का कोई उचित आधार न छूटे और यह दिखना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं के दृष्टिकोण में कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया हो।

(13) उपर्युक्त अभियोगात्मक परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मृतक की मृत्यु की प्रकृति को हत्यात्मक मानते हुए सर्वप्रथम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत दर्ज रामसेवक (अ.सा.-11) के कथन का अवलंब लिया है, जिसमें उसने कथन किया है कि दोनों अपीलार्थीगण ने सर्वप्रथम मृतक की गला घोटकर हत्या की तथा तत्पश्चात् उसकी (रामसेवक) सहायता से मृतक के शव को उसके घर से निकालकर उसके घर के पीछे स्थित गड्ढे में फेंक दिया। तथापि, रामसेवक (अ.सा.-11) ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपना कथन दर्ज कराते समय अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया तथा वास्तव में अपने कथन से पक्षद्रोही हो गया। प्रमुख प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्टतः कथन किया है कि पुलिस द्वारा डाले गए दबाव के कारण उन्होंने मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन दिया है (अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन दर्ज कराया है)।

(14) इस संबंध में, पुलिस उपायुक्त द्वारा प्रतिनिधित्व सोमसुंदरम उर्फ सोमू विरुद्ध राज्य² के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार किया जा सकता है, जिसमें यह स्पष्टतः अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिलेख पर प्रस्तुत किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दर्ज साक्ष्य के कथन के आधार पर अभियुक्त को सिद्धदोष करना उचित होगा तथा पैरा-82 से 84 में निम्नानुसार अवधारित किया गया है:



“82. धारा 164 के अधीन दर्ज कथन के साक्ष्य के महत्व और इस तथ्य के संबंध में कि क्या यह पर्याप्त साक्ष्य है, हम केवल निम्नलिखित निर्णय पर विचार कर सकते हैं, अर्थात् जॉर्ज विरुद्ध केरल राज्य [जॉर्ज विरुद्ध केरल राज्य, (1998) 4 एससीसी 605: 1998 एससीसी (क्रि) 1232: एआईआर 1998 एससी 1376]: (एससीसी पृष्ठ 624, पैरा 36)

“36. ... उपरोक्त और इसी तरह की टिप्पणियाँ करते समय विचारण न्यायालय ने पुनः न्यायशास्त्र के एक मूल नियम की अनदेखी की कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दर्ज साक्षी के कथन को ठोस साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल केवल उसके कथन का खंडन या पुष्टि करने के प्रयोजन से किया जा सकता है।”

83. धारा 164 के अधीन साक्षियों के कथन दर्ज करने का प्रयोजन क्या है, यह इस न्यायालय द्वारा आर. शाजी विरुद्ध केरल राज्य [आर. शाजी विरुद्ध केरल राज्य, (2013) 14 एससीसी 266: (2014) 4 एससीसी (दाण्डिक) 185] में स्पष्ट किया गया है: (एससीसी पृष्ठ 279, पैरा 27-28)

“27. जहां तक धारा 164 के अधीन दर्ज किए गए साक्षियों के कथन का प्रश्न है, इसका प्रयोजन दोहरा है; प्रथम, साक्षी को उसके पहले दर्ज किए गए कथन की सामग्री से इनकार करके अपना रुख बदलने से रोकना और दूसरा, धारा 164 के अधीन साक्षी द्वारा अभियोजन से प्रतिरक्षा को खत्म करना। यह प्रस्ताव कि यदि किसी साक्षी का कथन धारा 164 के अधीन दर्ज किया जाता है, तो न्यायालय में उसका साक्ष्य खारिज कर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल भी उचित नहीं है। (देखें जोगेंद्र नाहक विरुद्ध उड़ीसा राज्य [जोगेंद्र नाहक विरुद्ध उड़ीसा राज्य, (2000) 1 एससीसी 272: 2000 एससीसी (क्रि) 210] और सीसीई विरुद्ध डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड [सीसीई विरुद्ध डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2000) 7 एससीसी 53: 2000 एससीसी (क्रि) 1275])

28. साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 यह स्पष्ट करती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दर्ज किए गए कथन पर, साक्षियों द्वारा प्रतिबद्ध न्यायालय में दिए गए कथनों की पुष्टि करने या यहां तक कि उनका खंडन करने के प्रयोजन से अवलंब लिया जा सकता है। चूंकि बचाव पक्ष को उन साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने





का कोई अवसर नहीं मिला, जिनके कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दर्ज किए गए हैं, ऐसे कथनों को ठोस साक्ष्य नहीं माना जा सकता है।”

84. इस प्रकार, ऐसे प्रकरण में जहां एक साक्षी, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने कथन में, अभियुक्त की दोषसिद्धि को संदेह से परे बताता है, किंतु जब उसे विचारण में साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह पूर्णतः पक्षद्रोही हो जाता है, क्योंकि धारा 164 के अधीन कथन पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो स्थिति क्या होगी? मूल साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य है। यदि अभियुक्त के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, तो धारा 164 के अधीन कथन के आधार पर अभियुक्त को सिद्धदोष करना अनुचित होगा।

(15) इस प्रकार, उपर्युक्त विधि के सिद्धांत के दृष्टिगत, यह सुस्पष्ट है कि पुष्टि करने के लिए किसी अन्य विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव में, रामसेवक (अ.सा.-11) द्वारा धारा 164 के अधीन दर्ज कथन के रूप में एकमात्र साक्ष्य, प्र.पी/09 के अनुसार अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है, विशेष रूप से, जब रामसेवक (अ.सा.-11) स्वयं न्यायालय के समक्ष दर्ज अपने कथन में पक्षद्रोही हो गया एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान विशेषतः कथन किया कि पुलिस द्वारा डाले गए दबाव के कारण उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन दिया है (अर्थात् धारा 164 के अधीन दर्ज कथन)। तदनुसार, हम एतद्वारा अभिनिर्धारित करते हैं।

(16) आगामी अभियोगात्मक परिस्थिति जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने साबित पाया है, वह खोजी कुत्ते की कार्यवाही का पंचनामा (प्र.पी/03) है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मृतक के शव के गले में लिपटा हुआ दुपट्टा सूंघने के बाद खोजी कुत्ता सीधे अपीलार्थी क्रमांक 01 के घर के भीतर गया, जहां अपीलार्थी क्रमांक 01 के कमरे में प्रवेश करने के बाद खोजी कुत्ता उक्त कमरे के पीछे स्थित दूसरे कमरे में गया, वहां रुका और फर्श पर मौजूद लार व रक्त को सूंघने लगा। यद्यपि, खोजी कुत्ते की कार्यवाही के साक्ष्य मूल्य पर गडे लक्ष्मी मंगराजू उर्फ रमेश विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य³ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा विचार किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि खोजी कुत्ते द्वारा पहचान करना एक दुर्बल साक्ष्य है तथा पैरा-15 से 17 में निम्नानुसार अवधारित किया गया है:

“15. अब्दुल रजाक मुर्तजा दफादार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य {एआईआर 1970 एससी 283} में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने खोजी कुत्ते के साक्ष्य या



अभियुक्त के विरुद्ध इसकी स्वीकार्यता के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने या कोई सामान्य नियम बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि तथ्यात्मक स्थिति पर ऐसा करना आवश्यक नहीं था। तथापि, माननीय न्यायाधिपतियों ने ऐसे साक्ष्य की उपयोगिता या अन्यथा पर निम्नानुसार अवधारित किया:

"यह तर्क दिया गया कि खोजी कुत्ते के साक्ष्य की तुलना वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा रासायनिक प्रतिक्रियाओं, रक्त परीक्षणों और बैसिली की क्रियाओं का वर्णन करने वाले साक्ष्य के प्रकार से की जा सकती है। यद्यपि, यह तुलना उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि रसायनों, रक्त कणिकाओं और बैसिली के व्यवहार में सचेत इच्छा या जानबूझकर पसंद का कोई तत्व नहीं होता है। किंतु कुत्ते बुद्धिमान जीव हैं जिनके पास मनुष्यों की विचार प्रक्रियाओं के समान कई विचार प्रक्रियाएँ हैं और जहाँ भी आपके पास विचार प्रक्रियाएँ हैं, वहाँ सदैव त्रुटि, छल और यहाँ तक कि आत्म-छल का जोखिम होता है। इन कारणों से हमारा मानना है कि वैज्ञानिक ज्ञान की वर्तमान स्थिति में खोजी कुत्ते के साक्ष्य, यद्यपि स्वीकार्य हों, सामान्यतः बहुत अधिक मूल्य के नहीं होते हैं।"

16. सुरिंदर पाल जैन विरुद्ध दिल्ली प्रशासन {1993 पूरक (3) एससीसी 681} में दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिमत व्यक्त की कि "कुत्तों द्वारा इंगित किए जाने से यह गलत संदेह भी हो सकता है कि अपीलार्थी ने अपराध किया है, अतः माननीय न्यायाधिपतियों ने साक्ष्य के उस मद को विचार से अलग कर दिया।"

17. हमारा मानना है कि दाण्डिक न्यायालयों को उपरोक्त दर्शित अंतर्निहित दुर्बलता के कारण खोजी कुत्तों पर आधारित साक्ष्य के विषय में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि हम जांच एजेंसी द्वारा अपराधियों का पता लगाने के लिए अन्वेषण में सहायता करने के लिए ऐसे खोजी कुत्तों को नियुक्त करने को अस्वीकार नहीं कर सकते।"

(17) इस प्रकार, चूंकि खोजी कुत्ते की कार्यवाही का साक्ष्य मूल्य अंतर्निहित दुर्बलताओं के कारण अत्यधिक दुर्बल है और इस प्रकार की कार्यवाही में त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को संबंधित अपराध हेतु सिद्धदोष करने के लिए खोजी कुत्ते की कार्यवाही पंचनामा (प्र.पी/03) का अवलंब लेना पूर्णतः अनुचित है। तदनुसार, हम एतद्द्वारा अभिनिर्धारित करते हैं।



(18) उपर्युक्त विश्लेषण के दृष्टिगत, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण के साक्ष्य के 'पंचशील' का गठन करने हेतु पांच स्वर्णिम सिद्धांतों को साबित करने में सक्षम रहा है, जैसा कि शरद बिरदीचंद सारदा (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके अभाव में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 व 201/34 के अधीन अपराध हेतु सिद्धदोष करना अनुचित है, उपर्युक्त अभियोगात्मक परिस्थितियों के दृष्टिगत, उक्त अपराध के रचयिता होने के कारण, यह अपास्त किए जाने योग्य है।

(19) तदनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 व 201/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश, जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन पर अधिरोपित किया गया था, को अपास्त किया जाता है। उन्हें संदेह के लाभ के आधार पर उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि अपीलार्थीगण जमानत पर हैं, अतः उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-क के अधीन निहित प्रावधानों के दृष्टिगत उनके जमानत बंधपत्र आगामी छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

(20) यह दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है।

(21) इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय के साथ-साथ जेल अधीक्षक, जहाँ अपीलार्थीगण निरुद्ध हैं, को भी आवश्यक जानकारी एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए।

सही/- (संजय के.अग्रवाल) न्यायाधीश	सही/- (संजय कुमार जायसवाल) न्यायाधीश
---	--



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

